संख्या:103/2019/4039जेएल/22-3-19-100(26)/2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 06 दिसम्बर, 2019***

विषय: जिला कारागार कानपुर नगर में निरूद्ध विचाराधीन/सिद्धदोष बंदी ज्ञान प्रकाश यादव पुत्र श्री लालता यादव को अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री लालता यादव, निवासी-ग्राम-डिहवाबारी, पोस्ट-बारीखास, थाना-निजामाबाद, जिला-आजमगढ़ के प्रार्थना-पत्र दिनांक 25-07-2019 में किये गये अनुरोध के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार कानपुर नगर में निरूद्ध विचाराधीन/सिद्धदोष बंदी ज्ञान प्रकाश यादव पुत्र श्री लालता यादव को केन्द्रीय कारागार वाराणसी में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या:103/2019/4039जेएल(1)/22-3-19-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
3. जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर/वाराणसी।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर/वाराणसी।
5. वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार कानपुर नगर एवं वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार वाराणसी।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in